दिनांक–14.07.2025 को माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् के सभागार में आहूत बैठक की कार्यवाही।

बैठक में निम्नवत् उपस्थित रही :–

उपस्थित परिषद् सदस्य

1. श्री सुनील कुमार मा0 शिक्षा मंत्री –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना।
2. डॉ० कामेश्वर झा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना।
3. श्री अजय यादव (भा०प्र०से०), सदस्य सचिव–सह–रा0परि0नि0–सह–सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. श्री बैद्यनाथ यादव (भा०प्र०से०) सेवानिवृत्त, परामर्शी, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. इनायत खाँ, (भा०प्र०से०), प्रबंध निदेशक, बि०रा०शै०आ०सं०वि०नि०लिमिटेड, पटना।
6. प्रो0 अजय कुमार सिंह, कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना।
7. प्रो0 (डॉ०) संजय कुमार, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर।
8. प्रो0 (डॉ०) एन० के० अग्रवाल, निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
9. श्री प्रणव कुमार, डीन ऑफ सोशल साईन्स एण्ड पॉलिसी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बोधगया।
10. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विभाग, बिहार, सरकार।
11. श्री संजय कुमार सिंह, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग (प्रतिनिधि वित्त विभाग), बिहार पटना।
12. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार।
13. श्री शिव कुमार राम, अवर सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना की चतुर्थ बैठक माननीय शिक्षा मंत्री–सह– अध्यक्ष श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में दिनांक–14.07.2025 को सम्पन्न हुई। सचिव, शिक्षा –सह– राज्य परियोजना निदेशक द्वारा माननीय मंत्री –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना एवं अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए Power Point Presentation (PPT) के माध्यम से PM-USHA एवं RUSA के तहत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को दी गई राशि एवं उस राशि से किये जाने वाले कार्यों एवं प्रगति से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके पश्चात RUSA के तहत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में किये जाने वाले कार्य एवं प्रगति से भी सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। शिक्षा सचिव के द्वारा परिषद् में किए जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

उपाध्यक्ष डॉ० कामेश्वर झा के द्वारा अपने संबोधन में माननीय मंत्री –सह– अध्यक्ष बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना एवं परिषद के नये सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री एवं सचिव, शिक्षा के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए उठाए गए प्रभावी कदम एवं बैठक के आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया।

माननीय मंत्री –सह– अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपना Vision Document तैयार करके उसके अनुरूप कार्य योजना बनानी चाहिए। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना निर्माण के साथ–साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए भी कार्य की जाए एवं उस दिशा में सार्थक प्रयास की जानी चाहिए। पटना विश्वविद्यालय, पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना एवं जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के कुलपति के सहयोग से सभी विश्वविद्यालय से गुणवत्ता शिक्षा शोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अन्य महत्वपूर्ण अवयवों पर कार्य करने के साथ–साथ एक Vision Document तैयार करने के लिए उपाध्यक्ष को कहा गया। माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिये गये कि BSHEC में एक Cell का गठन किया जाय जो विश्वविद्यालयों के Vision/Mission document तैयार करने में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करे।

माननीय शिक्षा मंत्री ने बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रबंध निदेशक को कहा गया कि PM-USHA के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं यथा भवन के निर्माण, जिर्णोद्धार इत्यादि का कार्य ससमय पूरा कराया जाए और इसके लिए एक कार्य योजना बनाया जाए ताकि 31.03.2026 तक सभी निर्माण कार्य पूरा हो जाए।

माननीय शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि विश्वविद्यालयों में SAMARTH Module को शीघ्र क्रियान्वित (Implement) किया जाए। इसके लिए सचिव, उच्च शिक्षा अपने स्तर से सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र लिखेंगे।

बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गयाः–

गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि –

गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

एजेन्डा–01

गत बैठक के निर्णय का अनुपालन –

गत बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं आई० टी० मैनेजर एवं डाटा एनालिस्ट के रिक्त पद के साथ–साथ लीगल ऑफिसर तथा एग्जीक्यूटीव असिस्टेन्ट के पद पर भी परिषद् द्वारा संशोधित अर्हता के आधार पर आवश्यकतानुसार नियुक्ति की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

एजेन्डा–02

PM-USHA के तहत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन के संबंध में–

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) (केन्द्र प्रायोजित योजना) के तहत निम्नांकित रूप से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में योजना की स्वीकृति दी गयी है :–

क्र० सं०	योजना का नाम	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
01	Multi-Disciplinary Education and Research Universities (MERU)	1. पटना विश्वविद्यालय, पटना	100 करोड़
		2. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	100 करोड़
02	Grant to Strengthen Universities (GSU)	1. भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	20 करोड़
		2. जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	20 करोड़
		3. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, नालन्दा	20 करोड़
क्र० सं०	योजना का नाम	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
03	Grant to Strengthen Colleges (GSC)	1. अररिया कॉलेज, अररिया	05 करोड़
		2. पी०बी०एस० कॉलेज, बांका	05 करोड़
		3. गोपेश्वर कॉलेज, हथवा, गोपालगंज	05 करोड़
		4. डी०एस०एम० कॉलेज, झाझा, जमुई	05 करोड़
		5. कोशी कॉलेज, खगड़िया	05 करोड़
		6. बी०एन०एम० कॉलेज, बड़हिया, लखीसराय	05 करोड़
		7. एच०एस० कॉलेज, उदयकिशुनगंज, मधेपुरा	05 करोड़
		8. राजकीय डिग्री महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण	05 करोड़
		9. बिहार नेशनल कॉलेज, पटना	05 करोड़
		10. महंत शिवशंकर गिरी कॉलेज, अरेराज, पूर्वी चम्पारण	05 करोड़
		11. एम०एच०एम० कॉलेज, सोनबर्षा, सहरसा	05 करोड़
		12. एस०के०आर० कॉलेज, बरबीधा, शेखपुरा	05 करोड़
		13. राजकीय डिग्री महाविद्यालय; शिवहर	05 करोड़
		14. श्री लक्ष्मी किशोरी कॉलेज, सीतामढ़ी	05 करोड़
		15. डी०ए०भी० पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सीवान	05 करोड़
क्र० सं०	योजना का नाम	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
04	Gender Inclusion and Equity Initiatives (GIEI)	1. कमला राय कॉलेज, गोपालगंज	10 करोड़
		2. टी०पी० वर्मा कॉलेज, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण	10 करोड़
		3. एल०एन०डी० कॉलेज, मोतीहारी, पूवी चम्पारण	10 करोड़
		4. राज नारायण कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली	10 करोड़
		5. पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना	8.20 करोड़

उपर्युक्त सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में भवन निर्माण, जीणोद्धार इत्यादि का कार्य बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा तथा उपकरण एवं सॉफ्ट कम्पोनेन्ट का कार्य संबंधित संस्थान द्वारा किया जा रहा है। असैनिक कार्य को 31 मार्च 2026 तक पुरा करने तथा उपकरण एवं सॉफ्ट कम्पोनेन्ट का कार्य यथाशीघ्र किया जाना है।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को निदेश दिया गया है कि संस्थान के स्तर पर क्रय किए जाने वाले सामग्रियों (उपकरण इत्यादि) के लिए Gem Portal/E-Proc-2 के माध्यम से निविदा प्रकाशित किया जाए। असैनिक कार्यों के निमार्ण के लिए Detail Project Reports (DPR) तैयार करना एवं असैनिक कार्य के निमार्ण इत्यादि की कार्रवाई बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त स्थिति में PM-USHA योजना के तहत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के ससमय कार्यान्वयन के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–03

PM-USHA के तहत स्वीकृत योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए Technical Support Group (TSG) की नियुक्ति के संबंध में–

PM-USHA के तहत स्वीकृत योजनाओं के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन तथा प्रभावी अनुश्रवण के लिए PM-USHA के मार्गदर्शिका की Chapter-ix (5) Management Monitoring Evaluation and Research (MMER) के तहत सभी योजनाओं के लिए कुल राशि का राज्य में 1 प्रतिशत की राशि का व्यय करने का प्रावधान है।

माननीय शिक्षा मंत्री –सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना के अनुमोदन से (TSG) के तहत संविदा के आधार पर निम्नांकित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी है:–

Sl. No	Designation	No. of Personnel to be engaged	Mode of recruitment	Engagement per month (In Rs.)
1	Higher Education Policy Expert (Academic)	01	Contractual	80,000
2	Procurement Expert	01	Contractual	50,000
3	Technical Consultant (Civil)	01	Contractual	44,000
4	Junior Technical Consultant (Civil)	01	Contractual	35,000
5	Accountant	02	Contractual	35,000

Higher Education Policy Expert (Academic) के पद को छोड़ कर शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। Higher Education Policy Expert (Academic) के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करके आवेदन पत्र आमंत्रित की गयी है।

TSG के तहत अंकित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–04

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत योजनाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में–

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) का प्रथम चरण (रूसा–1) वर्ष 2013 में तथा द्वितीय चरण (रूसा–2) वर्ष 2018 में प्रारम्भ हुआ। इस योजना के द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय) के बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना है।

इस योजना में केन्द्रांश तथा राज्यांश क्रमशः 60:40 के अनुपात में है। रूसा योजना के तहत 06 विश्वविद्यालय एवं 65 महाविद्यालयों को नया कक्ष का निर्माण (New Creation), पुराने कक्ष के जीणोद्धार (Renovation) तथा उपकरण (Equipment) इत्यादि के क्रय के लिए राशि की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत निम्नांकित विश्वविद्यालयों को राशि स्वीकृत की गयी है :–

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
1.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	20 करोड़
2.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	20 करोड़
3.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	20 करोड़
4.	कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, दरभंगा	20 करोड़
5.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	20 करोड़
6.	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	20 करोड़

उक्त के अलावा 65 महाविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के लिए राशि स्वीकृति दी गयी है। इस प्रकार कुल 71 संस्थानों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत आच्छादित किया गया है।

इनमें से एक विश्वविद्यालय (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा) एवं 40 महाविद्यालयों में कार्य पूर्ण हो गया है तथा उपलब्ध करायी गयी राशि का शत–प्रतिशत व्यय कर लिया गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए।

भारत सरकार के पत्र दिनांक–14.06.2022 के द्वारा रूसा के अन्तर्गत लिए गए योजनाओं को पूर्ण कराने तथा अव्ययित राशि (Unspent Amount) को खर्च करने के लिए

वैसे संस्थान जहाँ राशि अव्ययित हो को आवश्यकतानुसार दूसरे संस्थान को कार्य पूर्ण करने हेतु हस्तांतरित (Transfer) किया गया है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने हेतु भारत सरकार केन्द्रांश की राशि मो० 65.37 करोड़ रूपये तथा राज्य सरकार से राज्यांश की राशि मो० 43.58 करोड़ की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया गया है, किन्तु वर्तमान में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में SNA-SPARSH पर अभिश्रव प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान हेतु पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इस हेतु विभाग में कार्य प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

<u>एजेन्डा–05</u>

परिषद् के गैर वेतन मद् से कार्यक्रमों में किए जाने वाले व्यय की स्वीकृति के संबंध में–

राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से वेतन एवं गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्रमशः 4.30 करोड़ एवं 1.51 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में क्रमशः शून्य एवं 1.51 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। वेतन मद से परिषद में कार्यरत उपाध्यक्ष एवं संविदा पर नियुक्त कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, जबकि गैर वेतन मद में प्राप्त राशि से आउटसोर्सिंग से नियुक्त कर्मियों के मानदेय का भुगतान एवं कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय तथा वाहन इत्यादि पर व्यय किए जा रहे है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-7084/2024 में दिनांक–03.05.2024 को दिए गए आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–1810, दिनांक–03.05.2024 के द्वारा बिहार के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार, परीक्षा नियंत्रक एवं वित्त पदाधिकारी के साथ कार्यशाला होटल मौर्या में आयोजित की गई। इस आयोजन पर होने वाले व्यय मो० 2,46,201/– (दो लाख छियालिस हजार दो सौ एक) रू० की राशि का भुगतान परिषद द्वारा किया गया। इसके अलावा सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक दिनांक–03.08.2024 को की गई, जिस पर 10,809/– (दस हजार आठ सौ नौ) रू० की राशि का व्यय हुआ, जिसका भुगतान परिषद् द्वारा किया गया।

निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग के पीत पत्र संख्या–13/नि०उ०शि०को०, दिनांक–15.01.2025 के द्वारा परिषद को कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति –2020 के विभिन्न आयामों के कार्यान्वयन के संदर्भ में समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण से संबंधित कार्यशाला में होने वाले संभावित व्यय का वहन परिषद में संचालित गैर वेतन मद से करने हेतु आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक–31.03.2025 तक गैर वेतन मद में कुल रू० 1,51,00,000/– (एक करोड़ इक्कावन लाख) प्राप्त हुए, जिसमें से रू० 1,49,38,901/– (एक करोड़ उन्चास लाख अड़तीस हजार नौ सौ एक) व्यय हो चुका है, जिसकी विवरणी

संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में गैर वेतन मद में रू० 1,51,00,000/– (एक करोड़ इक्कावन लाख) का बजट उपलब्ध है, जो परिषद को अप्राप्त है।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् में किए गए उपर्युक्त व्यय का परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–06

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् पटना के नियमित बुलेटिन ''प्रबोधिका'' प्रकाशन के संबंध में–

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण तथा अध्यनरत छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में परिषद् के द्वारा दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

परिषद् द्वारा उम्र सापेक्ष बच्चों के महाविद्यालय तक पहुँच के लिए योजना तैयार किया जाता है तथा शिक्षकों के क्षमतार्वधन के लिए प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था जैसे कार्य परिषद् के द्वारा किया जा रहा है। NAAC का कार्य भी परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त स्थति में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा के द्वारा किए जा रहे कार्यों की राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों तथा राज्य के बाहर के प्रदेशों में जानकारी के लिए 1000 की संख्या में नियमित बुलेटिन ''प्रबोधिका'' छपवाने का प्रस्ताव है, जिसमें परिषद् के द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख होगा –

i) किये जा रहे कार्य
ii) भारत सरकार से प्राप्त निर्देश
iii) प्रदेश के विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के Best practices
iv) अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के Best practices
v) विद्यार्थियों/शिक्षकों के द्वारा दिये जा रहे योगदान इत्यादि
vi) केन्द्रीय संस्थानों विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान इत्यादि के कार्यों से Best practices ।

उपर्युक्त प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–07

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के तहत सृजित कार्यपालक सहायक एवं लीगल ऑफिसर के अर्हता को शिथिल करने के संबंध में–

परिषद की दिनांक–19.09.2023 को माननीय मंत्री शिक्षा –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, पटना के अन्तर्गत सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त चल रहे पदों पर

दो बार विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त भी निर्धारित अर्हता के अनुरूप अभ्यर्थी न उपलब्ध होने के कारण निर्धारित अर्हता में शिथिलता प्रदान करने हेतु सदस्य सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त स्थिति में परिषद के निर्णय के आलोक में अर्हता को शिथिल करने के लिए निम्नांकित प्रस्ताव है :–

संशोधित अर्हता :–

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या	अर्हता	अनुभव	प्रस्तावित मानदेय
1	Executive Assistant	8	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक एवं साथ में ए.डी.सी.ए. (ADCA) की योग्यता।	सार्वजनिक क्षेत्र अथवा एन.जी.ओ. में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	25,500
2	Legal Officer	1	1. एल0एल0बी0/विधि संकाय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण।	विधि के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव जिसमें न्यूनतम 02 वर्ष राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा लोक उपक्रमों का अनुभव हो।	75,000

संशोधित अर्हता के उपर्युक्त प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–08

परिषद् कार्यालय के उपयोग के लिए जेन–सेट के क्रय की स्वीकृति के संबंध में –

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के सभागार में विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य पदाधिकारियों तथा महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक आयोजित की जाती है। बैठक के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैठक में व्यवधान हो जाता है।

साथ ही साथ कार्यालय कार्य के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है, और बिजली आपूर्ति बाधित रहने की स्थिति में ससमय कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त स्थति में कार्यालय के उपयोग के लिए 5 लाख रूपये (पाँच लाख रूपये) के भीतर में एक जेन–सेट के क्रय का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–9

वित्तीय वर्ष 2023–24 का अंकेक्षण एवं 2024–25 के अंकेक्षण कराने की स्वीकृति–

परिषद् की दिनांक 19.03.2023 की बैठक में बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के वित्तीय वर्ष 2022–23 तक अंकेक्षित अंतिम लेखा का अनुमोदन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 का लेखा अंकेक्षण का कार्य Vinod Singhal & Company के द्वारा किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंकेक्षण का कार्य भी Vinod Singhal & Company से पूर्व में निर्धारित दर पर ही कराने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त प्रस्ताव को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेन्डा–10

माननीय मंत्री शिक्षा –सह– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्यान्य :–

(i) AISHE :-

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना बनाने, नीति निर्माण और निर्णय लेने में सहायता के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र करना एवं उसका विश्लेषण करने हेतु AISHE की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

(ii) NAAC :-

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं निरन्तर सुधार को बढ़ावा देने तथा छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने एवं संस्थानों को NAAC Grading में सहयोग करने के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् में NAAC की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके तहत छात्र नामांकन, संकाय, बुनियादी ढ़ाचा और वित्तीय संसाधन की जानकारी एकत्र की जायेगी।

(iii) SAMARTH PORTAL :-

उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए SAMARTH PORTAL एक e-governance Platform है, जिसका उद्देश्य शिक्षा वितरण को डिजिटल एवं सुव्यवस्थित करना है। इस पोर्टल के द्वारा छात्र, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी एवं सेवाओं को प्रदान करना है।

पोर्टल का उपयोग करके संस्थान अपनी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना सकते हैं। इसके तहत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जाना है।

उपर्युक्त स्थिति में SAMARTH Module के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।

बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् Act 01, 2020 के आलोक में Higher Education Council की शक्तियों को HEC द्वारा कृत्य के आलोक में HEC को सुदृढ़ बनाया जाय एवं HEC आवंटित कार्य को करने की दिशा में प्रयास करें।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(अजय यादव)
सदस्य सचिव–सह–
राज्य परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा
परिषद, पटना

(डॉ० कामेश्वर झा)
उपाध्यक्ष,
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्,
पटना

(सुनील कुमार)
शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार
राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्,
पटना

ज्ञापांकः–SHEC/Council Meet/22/2015-PART-I-469 पटना, दिनांक–21/07/2025
प्रतिलिपिः–माननीय शिक्षा मंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थय विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना/कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय यादव)